न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 29/2018/अपील

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बैधनाथ शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये उप तहसीलदार पाटन जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.01.2018 मु.न. 241/2017 अनुवानी सरकार बनाम राजेन्द्र प्रसाद द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार पाटन

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मण सिंह सुण्डा

निर्णय

दिनांकः–27.06.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पाटन ने अधिनस्थ उप तहसीलदार पाटन के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 811 वाके ग्राम पाटन में पुख्ता दुकान बना रखी है। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के नाम नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलान्ट दिनांक 7.12.2017 को योग्य अधिनस्थ उप तहसीलदार पाटन के समक्ष अपस्थित हुआ और अपीलान्ट ने इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का विवादग्रस्त भूमि पर उसके पिता बेधनाथ जी के जीवनकाल से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट का बड़ा भाई राजकुमार जो बेधनाथ का बड़ा पुत्र है उसके नाम से ग्राम पंचायत पाटन द्वारा दिनांक 05.08.1980 को 400 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है और अपीलान्ट व उसके भाई ने पट्टा शुदा भूमि में मकान व तीन दुकाने बना रखी है। जिस पर योग्य अधिनस्थ उप तहसीलदार पाटन ने अपीलान्ट को मौके पर आकर निर्णय किए जाने हेतु कहा व दिनांक 07.12.2017 को आगामी कोई तारीख पेशी नही बताई और अपीलान्ट को बिना साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना ही व स्वयं उप तहसीलदार द्वारा मौके पर आये बिना ही दिनांक 09.01.2018 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये अपीलान्ट को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट के बड़े भाई राजकुमार के हक में ग्राम पंचायत पाटन द्वारा जारी पट्टा नं0 04 दिनांक 05.08.1980 की भूमि पर अपीलांट व उसके भाईयों ने पुख्ता तीन दुकाने व मकानात बना रखे है। अपीलांट का कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर सन् 1974 से अपने पिता बैधनाथ के समय से निरन्तर चला आ रहा है। जिसमें अपीलान्ट ने विधुत सम्बन्ध भी ले रखा है। भूमि खसरा नम्बर 811 के पूरे रकबे पर काफी वर्षों पूर्व से करीब 30 दुकाने बनी हुई है व काफी लोगो के आवासीय मकानात बने हुये है। मौके पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 811 गे0मु0 पहाड़ के रूप में न तो कभी पूर्व मे रही है और न अब भी मौके पर कोई पहाड़ है। अपीलान्ट का कब्जा सन् 1974 से निरन्तर चला आ रहा होने से उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत के आधिपत्य में होने से ग्राम पंचायत पाटन ने अपीलान्ट के बड़े भाई राजकुमार के हक में मिसल नं. 3 दिनांक 25.01.1974 की पालना मे

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पट्टा सं0 04 दिनांक 05.08.1980 20 गुणा 20 गज अर्थात 400 वर्गगज भूमि का जारी किया है। अपीलान्ट व उसके भाईयों का कब्जा उसकी पट्टाशुदा भूमि पर है व उसी पर अपीलान्ट ने मकान व दुकानात बना रखे है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त निर्णय में यह मानने में कानूनी गलती की है कि ग्राम पंचायत को गेर मुमकिन पहाड़ की भूमि का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नही है, जबकि अपीलान्ट के बड़े भाई राजकुमार के हक में जारी पट्टे के सम्बन्ध में आज तक किसी ने कोई आपत्ति नही की और न ही उक्त पट्टा आज तक निरस्त किया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटन ने न तो स्वयं ने कोई मौका मुआयना किया और न ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब के बाद कोई मौके की रिपोर्ट मंगवाई और अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति बताते हुये अपना निर्णय जेर अपील दिनांक 09.01.2018 पारित कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटन का निर्णय जेर अपील दिनांक 09.01.2018 को अपास्त किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट निर्धारित तारिख पेशी पर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश कर जवाब में अंकित किया कि ग्राम पाटन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 811 में प्रार्थी का पुराना कब्जा है तथा ग्राम पंचायत पाटन द्वारा दिनांक 05.08.1980 को प्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया हुआ है। उक्त पट्टाशुदा भूमि पर प्रार्थी ने मकान व दुकान बना रखी है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 811 रकबा 6.09 है0 किस्म गै.मु.पहाड़ में से 12 वर्गमीटर पर दुकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है। गै.मु.पहाड़ की भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः राजकीय भूमि (गै.मु. पहाड़) पर दुकान बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटन के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 09.01.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official